न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 94/2011

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.मागीलाल पुत्र हडमानराम 02.अणची पत्नी जालाराम 03.राणाराम पुत्र लाखाराम 04.आची पत्नी लाखाराम जाति विश्नोई निवासीगण धवा तहसील झंवर		01जेताराम पुत्र खेराजराम 02.ओमाराम पुत्र खेराजराम 03.गंगाराम पुत्र खेराजराम 04.मोहनराम पुत्र खेराजराम 05.भंवरी देवी पुत्री खेराजराम 06.भीकी देवी पत्नी खेराजराम जाति विश्नोई निवासीगण धवा तहसील झवर 07.तहसीलदार झवर 08.पटवारी हल्का धवा तहसील झंवर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।

01.प्राथीगण की ओर से अधिवक्ता भवरलाल चौधरी उपस्थित।

02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता लाधूराम पूनिया उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 06/08/2024

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धवा की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 917 रकबा 11 बीधा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 1260 रकबा 39 बीधा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 1262 रकबा 69 बीधा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 1265 रकबा 13 बीधा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 1274 रकबा 78 एव खसरा नम्बर 929 रकबा 87 बीधा 7 बिस्वा कुल रकबा 288 बीधा 19 बिस्वा भूमि आई हुई है जो पक्षकारो की पैतृक कृषि भूमि है जागिर के समय यह भूमि पक्षकारो के पूर्वज गुलाराम के कब्जे काश्त खातेदारी की थी गुलाराम के पाच पुत्र हडमानराम जालाराम लाखाराम खेराजराम भीयाराम थे उसमे प्रत्येक का 1/5 हिस्सा नियत था भूमि खसरा नम्बर 917,1260,1262,1265 व 1274 कुल रकबा 201 बीधा 12 बिस्वा गुलाराम के पांचो पुत्रो के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज हो गई लेकिन खसरा नम्बर 929 रकबा 87 बीधा 7 बिस्वा सेटलमेन्ट कर्मचारियो की गलती से अकेले खेराजराम के नाम से दर्ज कर दी बल्कि इस भूमि पर गुलाराम के पांचो पुत्रो का कब्जा काश्त है। एव पांचो का हक हिस्सा है आज भी कब्जा काश्त सभी का है खेराजराम एव उसके लडको द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दखल करने तथा उनके हक से इन्कार करने पर प्रार्थीगण द्वारा समक्ष न्यायालय मे वाद पेश किया गया तथा ग्राम धवा के खसरा नम्बर 929 रकबा 87 बीधा 7 बिस्वा के भूमि पर राजस्व रेकर्ड मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे एव राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए प्रार्थीगण द्वारा समक्ष न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्राथीगण संख्या 01 एव 07 की ओर से अधिवक्ता लाधूराम पूनिया द्वारा वकालतनामा पेश किया गया अप्रार्थीगण को जबाव वास्ते न्यायहित मे अनेक अवसर दिये गये परन्तु जबाव पेश नही करने पर अप्रार्थीगण का जबाव प्रार्थना पत्र बन्द किया गया प्रकरण मे बहस सुनी गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस मे कथन किया गया कि अप्रार्थीगण को पावद किया जावे कि ग्राम धवा के खसरा नम्बर 929 रकबा 87 बीधा 7 बिस्वा मे मूल वाद के अन्तिम निस्तरण तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया ।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता को प्रकरण मे बहस हेतु न्यायहित मे अन्तिम से अन्तिम अवसर बहस वास्ते दिये गये परन्तु अप्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित नही।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है कि खेत खसरा नम्बर 917 रकबा 11 बीधा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 1260 रकबा 39 बीधा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 1262 रकबा 69 बीधा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 1265 रकबा 13 बीधा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 1274 रकबा 78 एव खसरा नम्बर 929 रकबा 87 बीधा 7 बिस्वा कुल रकबा 288 बीधा 19 बिस्वा भूमि आई हुई ग्राम धवा पटवार क्षेत्र धवा, तहसील झंवर जिला जोधपुर की कृषि भूमि बाबत प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण अपने अपने खातेदारी हिस्सो पर सयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे थे तथा शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है जिससे प्रार्थीगण स्वीकार कर रहा है इस कारण प्रार्थीगण उक्त भूमि को विवादग्रस्त साबित कराने मे असफल रहा। ऐसी स्थिति मे प्रथम दष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होना पाया जाता है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णनीय क्षति का बिंदु साबित करने में असफल रहे है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में कम हो।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)